पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का.आ.268 (अ) – पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2000 का प्रारूप पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1163 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 दिसम्बर 2000 में ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई भी आक्षेप या सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन नियम, 2001** है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगे।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) 'पशु से पशुधन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पशु भी है, अर्थात् :–

   (i) ढोर के अन्तर्गत गाय, सांड और बैल, भैंसा सांड और भैंसे, गायें, भैंसे, मिथुन, याक और बछड़े है;

   (ii) आश्व के अन्तर्गत घोड़े, टटू, खच्चर और गधे हैं;

   (iii) घोड़े के अन्तर्गत सम्पूर्ण (बीजाश्ब), गोल्डिंग्स, बच्ची घोड़ियां, बछेड़े और बछेड़ियां है;

   (iv) बकरी के अन्तर्गत दो वर्ष और उससे अधिक आयु का वयस्क नर या मादा बकरी है;

   (v) रक के अन्तर्गत नर बकरी (बकरा) है;

   (vi) मनमुन – एक वर्ष से कम आयु की अल्प वयस्क बकरी;

   (vii) नन्नी मादा बकरी;

   (viii) भेड़ के अन्तर्गत दो वर्ष और उससे अधिक आयु का वयस्क नर या मादा भेड़ है,

   (ix) ईब–मादा मेढ़

   (x) मैमना – एक वर्ष से कम आयु की अल्प वयस्क भड़े;

   (xi) रैम–नर भेड़;

   (xii) खस्सी मेंढ़ा के अन्तर्गत वह मेमना भी है जिसे मैथुनिक परिपक्वता पर पहुंचने से पूर्व बधिया कर दिया गया है;

   (xiii) सूअर के अन्तर्गत एक वर्ष या उससे अधिक की आयु का वयस्क सूअर या सुअरी है;

   (xiv) घेंटा के अन्तर्गत एक वर्ष से कम आयु का अल्प वयस्क सूअर है;

   (ख) 'पशु–चिकित्सक' के ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984

का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् मे रजिस्ट्रीकृत है;

(ग) 'अनुसुची' से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. नियमों का लागू होना – वे नियम पशुओं के पैदल परिवहन को उस समय लागू होंगे जब ऐसे परिवहन के आरम्भ के गांव या शहर या नगर की सीमा के अन्तिम लक्ष्य की दूरी पांच किलोमीटर या पांच किलोमीटर से अधिक है।

4. पैदल परिवहनित किए जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की दशा – (1) पैदल परिवहनित किए जाने वाला पशु स्वस्थ और ऐसे परिवहन के लिए ठीक हालत में होगा;

(2)परिवहनित किए जाने वाले प्रत्येक पशु की बाबत पशु चिकित्सक का इस आशय का प्रमाणपत्र उस पशु के साथ होगा कि ऐसा पशु ऐसे परिवहन के लिए सही हालत में है और किसी संक्रामक, सांसर्गिक या परजीवी रोग से पीड़ित नहीं है और उसे संक्रामक, सांसर्गिक या परजीवी रोगों का टीका लगा दिया गया हैं।

(3)उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा।

5. कतिपय पशुओं का पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा – ऐसे नवजात पशुओं का जिनकी नाभि पूरी तरह सूखी नहीं है, रोगी, अन्धे, कृश, लंगड़े थके मांदे पशुओं या ऐसे पशुओं का जिन्होंने पूर्ववर्ती बहत्तर घंटों के दौरान जन्म दिया है या परिवहन के दौरान जन्म देने की सम्भावना है, पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा।

6. ऑन–फॉर्म सामाजिक समूह में परिवहन – पशुओं का उनके ऑन फार्म सामाजिक समूहों में ही (यात्रा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थापित) परिवहन किया जाएगा।

7. पैदल परिवहनित किए जाने वाले पशुओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर ले जाना – पशुओं का स्वामी ऐसे पशुओं के साथ, जब उन्हें पैदल परिवहनित किया जा रहा हो, पशु चिकित्सा के प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराएगा।

8. परिवहन के दौरान प्रमाणपत्र का ले जाया जाना – उस दशा में जिसमें पशुओं का पैदल परिवहन करने वाला व्यक्ति उन पशुओं का स्वामी नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति ऐसे परिवहन के दौरान दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र ले जाएगा।

9. पशुओं के परिवहन के दौरान पानी की व्यवस्था – पशुओं का स्वामी ऐसे पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था करेगा।

10. पशुओं के परिवहन के दौरान भोजन और चारे की व्यवस्था– पैदल परिवहन के दौरान पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन और चारे की पर्याप्त आरक्षिति के साथ पर्याप्त भोजन और चारे की व्यवस्था उनके स्वामियों द्वारा की जाएगी।

11. पशुओं के पैदल परिवहन के दौरान चाबुक आदि के उपयोग का प्रतिषेध – (1) कोई भी व्यक्ति पशुओं को चलने या उनकी चाल में तेजी लाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किसी चाबुक या लाठी का उपयोग नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति उनके पैदल परिवहन के दौरान इस प्रयोजन के लिए पशु के शरीर के किसी भाग में मिर्चो या किसी अन्य पदार्थ का उपयोजन करेगा।

(2) यदि पैदल परिवहन के दौरान किसी पशु को बांधने की आवश्यकता हो तो वह ऐसी रस्सी से बांधा जाएगा जिस पर चारों तरफ से कपड़े जैसी उपयुक्त गद्दीदार वस्तु लिप्टी हुई हो। ऐसे पशु को, उसकी गर्दन के सिवाय, उसकी नाक या सभी टांगों या शरीर के किसी अनय भाग पर नहीं बांधा जाएगा।

(3) यदि एक से अधिक पशुओ को पैदल परिवहन के दौरान एक ही रस्सी से एक साथ बांधा जाए तो ऐसे किन्हीं दो पशुओं के बीच कम से कम दो फुट का अन्तर होगा और इस प्रकार बांधें गए ऐसे पशुओं की एक जैसी

शारीरिक हालत और ताकत होनी चाहिए तथा ऐसे दो से अधिक पशुओं को एकल रस्सी द्वारा एक दूसरे के साथ नहीं बांधा जाएगा।

12.पशुओं के पैदल ले जाए जाने पर कतिपय प्रतिषेध–

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात पैदल परिवहनित नहीं करेगा।

(2) नीचे दी गई सारणी में ऐसे पशु के लिए विनिर्दिष्ट दूरी, समय, विश्राम अंतराल और तापमान के परे किसी पशु को पैदल परिवहनित नहीं करेगा –

जाति (जानवर)	तय की गई अधिकतम दूरी/दिन/घंटा	चले दिनों/घंटों की अधिकतम संख्या	विश्राम की अवधि (अंतराल)	तापमान की रेंज अधिकतम न्यूनतम
ढोर (गाय)	30 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
भैंस	25 कि. मी. प्रतिदिन 3 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
गाय और भैंस के बछड़े	16 कि. मी. प्रतिदिन 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
घोड़े, टटू, खच्चर, गधे	46 कि. मी. प्रतिदिन 6 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 3 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 6 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
अल्प वयस्क (बछेड़ा)	26 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
बकरियां और भेड़	30 कि. मी. प्रतिदिन 4 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक 2 घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 4 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक
मुनमुन और मेमने	16 कि. मी. प्रतिदिन 2.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
सूअर	15 कि. मी. प्रतिदिन 2 कि. मी. प्रति घंटा	8 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	12 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक
घेंटे	10 कि. मी. प्रतिदिन 1.5 कि. मी. प्रति घंटा	6 घंटे	प्रत्येक डेढ़ घंटे के बाद पीने के लिए और प्रत्येक 3 घंटे के बाद भोजन के लिए	15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक

टिप्पण : पानी पिलाने के बाद प्रत्येक पशु का पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले 20 मिनट का विश्राम दिया जाएगा और चारा खिलाने के मामलेमें पैदल परिवहन आरंभ करने से पहले 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा।

(3) किसी भी पशु को भारी बरसात, तूफान या भीषण सूखे या उमस की स्थिति में पैदल नहीं ले जाया जाएगा।

13. कतिपय दशाओं में पशुओं को बिना नाल के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी – उन पशुओं का जिनके खुरों में नाल नहीं लगवा दिए गए हैं, (भारवाही पशुओं या लद्दू पशुओं की दशा में) कठोर सीमेंट, डामर लेपित या पक्की सड़कों, प्रपाती ढालों या पहाड़ी और चट्टानी भूभागों पर, चाहे मौसम की कोई भी दशा हो (गर्मी या सर्दी) पैदल परिवहन नहीं किया जाएगा।

14. स्वामी से पशु को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले चलने की अपेक्षा करने की पुलिस की शक्ति–(1) यदि सिपाही से ऊपर की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा भारत के पशु कल्याण बोर्ड द्वारा,इस निमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास इस बारे में विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु के संबंध में इन नियमों के उल्लंघन में कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो वह ऐसे पशु के स्वामी या भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पशु को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास ले चले।

(2)यदि उपनियम(1)में निर्दिष्ट पशुओं का सवामी या उनका भारसाधक व्यक्ति उस उपनियम के अधीन पुलिस अधिकारी की मांगों का पालन करने से इंकार करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे उस पशु को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं।

पहली अनुसूची
पशुओं के परिवहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप
(नियम 4 (3) देखिए)

यह प्रमाणपत्र किसी अर्हताप्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

जांच की तारीख और समय

जाति

ट्रकों/रेल के डिब्बों की संख्या

ढोरों की संख्या

लिंग

पहचान

नस्ल (उसके लक्षण बताते हुए) – वह क्षेत्र जहां वह पाया जाता है तथा साधारण प्रतिरोध शक्ति और ताप की सहनशक्ति से संबंधित उसकी स्थिति।

पशु के वयष्टिक लक्षण :

शरीर का रंग,

ऊंचाई

शरीर का वज़न (लगभग)

पशु की लम्बाई

हांकना (श्रेणिय हड्डियों के बीच नापा गया)

आंखों का रंग

सींगों की बनावट

साधारण दशा (जैसे – मांसल, हड्डियों का प्रक्षेपण)

स्वास्थ्य की स्थिति

पशु का इतिहास, भोजन की स्थिति क्या श्रृधा अभाव/अतिसार के चिन्ह हैं अथवा नहीं

1. शरीर का तापमान अभिलिखित करना
2. कोया के उभार या बहिसरण अन्धता, आंखों की पुतली की फुल्ली के लिए आंखों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।
3. चमड़ी की दशा, (निर्जलीकरण, क्षतियों, श्रुधा अभाव के चिन्हों सहित – चमड़ी पर मस्सों की मौजूदगी के लिए जांच करें)
4. **कान**

   कानों की परीक्षा करें – (सुनने पर पशु के शरीर की प्रतिक्रिया के लिए जांच करें, किसी संक्रमण, सूजन या स्त्राव के लिए जांच करें)

   (क) कान के मल, रक्त या किसी तरल की अधिकता की जांच करे।
5. सूजन के लिए उप जंभिका की अवधि की परीक्षा करे (किसी असामान्यता या दर्द के लिए)
6. मादा पशुओं की गर्भ की स्थिति की जांच करे।

   यदि हां तो कौन – सी स्टेज है – पहली दूसरी या तीसरी
7. थन और स्तनाग्रों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें –

   (क)पुट्ठों का संबंधित आकार

   (ख)सूजन/अपदाय/तन्तुमय के चिन्हों की जांच करें

   (ग)व्यष्टिक पुट्ठों की स्पर्श परीक्षा की अवधि विनिर्दिष्ट करें

   (घ)स्तनाग्रों के ट्यूमर या स्तनाग्रों में तन्तुओं के लिए उनकी नलिकाओं की जांच करें और विनिर्दिष्ट करें।
8. (क)यदि मादा हो तो,

   बल्ब की परीक्षा पर योजना निस्तरण के चिन्ह के लिए जांच कर और विनिर्दिष्ट करें।

   (ख)नर में, जांच करें –

   अण्डकोश – आकार, मोनोगैस्ट्रिक पशुओं के लिए कोई संकेत।

   असामान्यताएं

   लिंगि–क्षति, खरोंच या आवरण, स्खलन अभिलिखित किए जांए।
9. उदरीय पीड़ा के चिन्हों के लिए (पशु की चाल या मुद्रा की जांच करें, उदरीय कुलाव के चिन्ह के लिए जांच करें, आमाशय की परीक्षा के लिए (भरा हुआ, खाली) और अफरा। रक्त के लिए वायु कोख की जांच करें।
10. पाचन तंत्र

    मुख की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें –

    1. दन्तोद्भेद का व्यौरा

    2. दंत क्षति के साक्ष्य, टूटे हुए या घिसे पिटे कृन्तकों के साक्ष्य को विनिर्दिष्ट करें।
11. श्वसन तंत्र

    क. श्वसन की दर अभिलिखित करें

    ख. श्रवण ओर कक्ष्ट श्वास, श्वास लेने में तकलीफ के संकेतों को विनिर्दिष्ट करें।

12. गायों में उनके सीगों की जांच करें ओर विनिर्दिष्ट करें–

(क)सीगों की बनावट

(ख)सीगों के बलयों की संख्या

(ग)उनकी दिशाओं में कोई अन्तर

(घ) दोनों सीगों की बनावट

13. अस्थिभंग के लिए पसलियों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करें।

14. वैन्ट्रल या अमब्लीकल हर्निया की मौजूदगी के लिए उदर दीवारों की परीक्षा करें और विनिर्दिष्ट करे।

15. हड्डियों के बढ़ने या स्नोवायल डिस्टैन्शन्स के लिए अंगों और जोड़ों की परीक्षा करें तथा लगड़ेपन के चिन्हों की जांच करें और विनिर्दिष्टकरें।

16. किसी चोट के लिए इंटर डिजिटल स्थान की जांच करें और उसे विनिर्दिष्ट करें।

17. पैरों के जख्म, तलवों के अत्यधिक घिसाव या सुमशोथ के कोई संकेत हैं।

18. रक्त–वह–तत्र की जांच करें–

1. नाड़ी स्पन्दन दर को विनिर्दिष्ट करें

2. शोक आधारित अंग या जलोदर की मौजूदगी के लिए जांच करें और उसको विनिर्दिष्ट करें।

19. ..... से ..... तक परिवहन किया गया।

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं को पैदल परिवहन) नियम, 2001 पढ़ लिए है।

1. कि .....(प्रेषक) के अनुरोध पर मैंने माल यान/रेल के डिब्बों में उम्रर वर्णित पशु की उनके गमन से बारह घंटे से अनधिक पूर्व जांच की है।

2. कि प्रत्येक पशु रेल/सड़क से यात्रा करने के लिए ठीक हालत में प्रतीत होता है ओर उसमें संक्रमाक या सांसर्गिक या परजीवी रोग के कोई लक्षण दर्शित नहीं हो रहे हैं और उसको पशु प्लेग और किसी अन्य संक्रमाक या सांसर्गिक या परजीवी रोगों के टीके लगा दिए गए हैं।

3. कि पशु को यात्रा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से भोजन करा दिया है और पानी पिला दिया है।

4. पशु को टीका लगा दिया गया है

(क) टीके की किसम (ख) टीका लगाने की तारीख

हस्ताक्षर----------

पता----------

अर्हता ----------

तारीख ----------

दूसरी अनुसूची

प्राधिकरण प्रमाणपत्र

(नियम 8 देखिए)

1. स्वामी का नाम और आयु
2. पिता का नाम
3. स्वामी का नाम
4. परिवहन के लिए पशुओं की संख्या, प्रत्येक पशु की जाति, आयु और लिंग को विनिर्दिष्ट करते हुए
5. पशुओं का परिवहन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम
6. परिवहन के लिए ऐसे पशुओं के उद्‌गम के स्थान और अन्तिम लक्ष्य के स्थान को विनिर्दिष्ट करें
7. नियम 8 के अधीन दिए गए पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें
8. ऐसे पशुओं के परिवहन के दौरान उपलब्ध कराई गई भोजन, और चारे और पानी की व्यवस्थाओं का व्यौरा।

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्वोक्त वर्णित पशुओं का स्वामी हूँ। मैने उक्त पशुओं का परिवहन करने के लिए श्री ----------पुत्र ---------- निवासी ---------- ------- को प्राधिकृत किया है। मैंने पशुओं के पैदल परिवहन नियम, 2001 को पढ़ा है और समझ लिया है तथा यह बचन देता हूँ कि परिवहन के दौरान उक्त नियमों का पालन किया गया है और किया जाएगा।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता हूँ कि ऊपर की सूचना सत्य और सही है।

हस्ताक्षर ----------
(स्वामी)

परिवाहक द्वारा भरा जाना चाहिए

मैं ---------- पुत्र -------- निवासी ----- एतद्द्वारा पूर्वोक्त वर्णित पशुओ का उद्‌भव के पूर्वोक्त स्थान से अन्तिम लक्ष्य के स्थान तक परिवहन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

मैंने पशुओं के पैदल परिवहन नियम, 2001 को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा यह वचन देता हूँ कि परिवहन के दौरान उक्त नियमों का पालन किया जाएगा।

मैं एतद्द्वारा यह कथन करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

हस्ताक्षर ----------
(परिवाहक)

(फा.सं.19/1/2000-ए डब्ल्यू डी)
धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव